

## राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

अपील संख्या – 777 / 2008 / श्रीगंगानगर.

सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, सूरतगढ़.

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स वर्धमान मिल्स, सूरतगढ़.

.....प्रत्यर्थी.

### खण्डपीठ

श्री बी. के. मीणा, अध्यक्ष

श्री मनोहर पुरी, सदस्य

### उपस्थित :

श्री अनिल पोखरणा,

उप-राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री वी. सी. सोगानी, अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 01 / 10 / 2015

### निर्णय

1. यह अपील राजस्व द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, बीकानेर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के प्रकरण संख्या 58/आरएसटी/सूरतगढ़/07.08 में पारित किये गये आदेश दिनांक 26.9.2007 के विरुद्ध पेश की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा रजाई गदा, तकिया, स्लिपिंग बैग व सर्जिकल कॉटन आदि के व्यवसाय में दिनांक 24.4.2003 से तिलहन, फूडग्रेन, प्लसेज, खल, बारदाना आदि आईटम जुड़वाये गये। व्यवहारी द्वारा वर्ष 2004–05 का वार्षिक बिक्री विवरण प्रपत्र एस.टी.5ए दिनांक 14.12.2005 को प्रस्तुत किया गया। जिसके अनुसार व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधि में कुल बिक्री रूपये 5,14,10,119.70 में कर मुक्त बिक्री रूपये 13,58,988.20, कर प्रदत्त बिक्री रूपये 23,78,328.64, पुनः विक्रय की बिक्री रूपये 4,50,25,797.06, अन्तर्राज्जीय बिक्री रूपये 26,47,005.80 एवं कर योग्य बिक्री शून्य घोषित की गई। सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, सूरतगढ़ (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी के आलौच्य अवधि का कर निर्धारण राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा गया है) की धारा 29, 65 व 58 के तहत दिनांक 30.3.2007 पारित करते हुए, व्यवहारी की घोषणा प्रपत्र एस.टी.17 के समर्थन से सरसों की पुनः विक्रय की बिक्री हेतु मैसर्स बोथरा ट्रेडर्स, पीलीबांगा द्वारा राशि रूपये 2,11,58,237/- के घोषणा प्रपत्र क्रमांक 0108841 एवं मैसर्स मोहित ट्रेडिंग कम्पनी, पीलीबांगा द्वारा राशि रूपये 2,22,79,070/- के घोषणा प्रपत्र क्रमांक 0109157 को विस्तृत जांच एवं पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अस्वीकार करते हुए उक्त कर योग्य सरसों की विक्रय राशि रूपये 4,34,37,307.82 पर

-२०१८ लगातार.....2

पर 4 प्रतिशत की दर से कर रूपये 17,37,492/- एवं सुनियोजित करापवचन के कृत्य के लिये अधिनियम की धारा 65 के तहत शास्ति रूपये 34,74,984/- आरोपित की गई। व्यवहारी द्वारा मैसर्स गौरव ट्रेडिंग कम्पनी, पीलीबंगा की पुनः विक्रय की बिक्री राशि रूपये 15,88,489.24 के लिये घोषणा प्रपत्र एस.टी.17 प्रस्तुत नहीं करने के कारण इस राशि पर 4 प्रतिशत की दर से कर रूपये 63,540/- आरोपित किया गया। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश से प्रत्यर्थी व्यवहारी के विरुद्ध अधिनियम की धारा 29 के तहत कर रूपये 18,01,032/-, धारा 65 के तहत शास्ति रूपये 34,74,984/- एवं धारा 58 के तहत ब्याज रूपये 4,93,365/- अर्थात् कुल रूपये 57,69,381/- का आरोपण किया गया।

3. प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश दिनांक 30.3.2007 के विरुद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 26.9.2007 द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर व्यवहारी की मैसर्स गौरव ट्रेडिंग कम्पनी पीलीबंगा को घोषणा प्रपत्र एस.टी.17 के बिना विक्रय की गई सरसों पर आरोपित कर रूपये 63,540/- की पुष्टि करते हुए मैसर्स बोथरा ट्रेडर्स पीलीबंगा व मैसर्स मोहित ट्रेडिंग कम्पनी पीलीबंगा को विक्रय की गई कर योग्य सरसों की विक्रय राशि रूपये 4,34,37,302.82 पर 4 प्रतिशत की दर से आरोपित कर, शास्ति एवं ब्याज को अपास्त किया गया।

4. अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत अपील में माननीय राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा उभय पक्ष की सुनवाई के पश्चात निर्णय दिनांक 22.09.2009 पारित करते हुए राजस्व की अपील स्वीकार की गई थी। माननीय कर बोर्ड के उक्त निर्णय के विरुद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष एस.बी.सिविल सेल्स टैक्स रिवीजन संख्या 276/2009 दायर की गयी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 27.01.2010 पारित करते हुए निम्न निर्देशों के साथ प्रकरण पुनः निर्णयार्थ राजस्थान कर बोर्ड को प्रतिप्रेषित किया गया है :—

"4. Having heard the learned counsels and in view of the legal position as cited at the bar, this Court is of the opinion that the matter deserves to be remanded back to the learned Tax Board, Ajmer for decision afresh in accordance with law. The subsequent development after passing of the assessment order in the form of setting aside of cancellation of registration certificates of purchasing dealers by the learned Deputy Commissioner (Appeals) vide order

३६२ लगातार.....3

*निर्णय*

dated 21/9/2007 is a fact relevant in the present matter and same deserves to be considered by the Tax Board afresh in accordance with law.

5. Accordingly, this revision petition is allowed and the impugned order of the learned Tax Board dated 22/9/2009 is set aside and the matter is remanded back to the Tax Board for decision afresh in accordance with law on the basis of additional evidence which may be produced by the assessee before it.

5. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देशों की अनुपालना में उभयपक्ष की सुनवाई की गई।

6. दौराने बहस प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने अतिरिक्त सबूत के रूप में अपीलीय अधिकारी के द्वारा अपीलकर्ता मैसर्स बोथरा ट्रेडर्स पीलीबंगा की अपील संख्या 133/आरएसटी/हनुमानगढ़/07-08 में पारित आदेश दिनांक 21.09.2007 व अपील संख्या 330/आरएसटी/हनुमानगढ़/07-08 में पारित आदेश दिनांक 30.05.2008 की प्रतियां प्रस्तुत करते हुए राजस्व की अपील अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

7. अपीलार्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण आदेश का समर्थन करते हुए अपील स्वीकार किये जाने पर बल दिया।

8. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत किये गये मैसर्स बोथरा ट्रेडर्स पीलीबंगा के वर्ष 2004-05 के अपीलीय आदेशों का अध्ययन किया गया।

9. अपील संख्या 133/आरएसटी/हनुमानगढ़/07-08 में पारित आदेश दिनांक 21.09.2007 निम्न प्रकार है :—

“हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी गई एवं विभागीय पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। क.नि.अ. ने वा.क.नि. की एक जांच रिपोर्ट दिनांक 22.8.05 को आधार बनाकर दिनांक 30.9.05 को भूतलक्षी प्राभाव से दिनांक 1.4.04 से व्यवहारी का पंजीयन प्रमाण पत्र निरस्त किया है। इस निरस्तीकरण के लिए मुख्य रूप से आधार लिए गए हैं कि व्यवहारी का पीलीबंगा में कोई व्यवसाय स्थल नहीं है, मालिक श्री निर्मलकुमार अपने घोषित पत्ते पर नहीं रहता है, कृषि उपज मंडी समिति में व्यवहारी का कोई रिकार्ड नहीं है; जमानती फर्म पीलीबंगा में नहीं मिली हैं, व्यवहारी द्वारा जारी बिल क्रमांक 04 एवं 05 दिनांक 6.7.04 के क्रमशः रु.17958.83 एवं 18677.25 का कर वसूल किया गया है लेकिन सम्बन्धित विवरणी में नहीं दिखलाया गया है।

-३६२ लगातार.....4

दिनांक 30.9.05 की सुनवाई के लिए जो नोटिस जारी किया गया है वह तामिल होना नहीं पाया जाता है वरन् निरीक्षक ने उसके पीछे ही रिपोर्ट करके दे दी है। व्यवहारी ने अपील स्तर पर एक शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है कि पंजीयन प्रमाण पत्र निरस्त करने का कोई नोटिस या आदेश उन्हें तामील नहीं हुआ है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वर्णित आधार अधिनियम की धारा 24(4) से समर्थित नहीं है। व्यवहारी ने अपने नजदीकी रिश्तेदार श्री छगनलाल सुराणा का पत्ता दिया था उससे भी जांच की जानी चाहिए थी। अगर जमानती सही नहीं थे तो दूसरे जमानती प्राप्त करने के लिए क.नि.अ. को कार्यवाही करनी चाहिए थी। अगर व्यवहारी समय पर विवरणियां नहीं दे रहा था या गलत विवरणियां दे रहा था तो सामयिक (प्रोविजनल) कर निर्धारण कर मांग राशि सृजित कर वसूली कार्यवाही प्रारम्भ करनी चाहिए थी। कर निर्धारण वर्ष 04.05 के लिये वार्षिक विवरणी दिनांक 24.11.05 को कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई है एवं घोषणा प्रपत्र एसटी 17 के विरुद्ध सरसों का क्रय रु.2,11,58,238.35 किया गया है। वर्ष 05.06 एवं 06.07 की विवरणियां भी पेश करना बतलाया है। सामान्यतः उचित आधारों के बिना भूतलक्षी प्रभाव से पंजीयन प्रमाण—पत्र निरस्त नहीं करना चाहिए। भूतलक्षी प्रभाव से पंजीयन प्रमाण—पत्र निरस्त कर देने से रु. 2,11,58,238.35 के क्रय/विक्रय पर करारोपण नहीं हो सका है। फलतः क.नि.अ. के आदेश दिनांक 30.9.05 को अपास्त करते हुए व्यवहारी की अपील स्वीकार की जाती है। घोषणा प्रपत्र (एसटी 17) से की गई खरीदों की बाद जांच कर, शास्ति एवं ब्याज आरोपण नियमानुसार अपेक्षित है।”

10. अपील संख्या 330/आरएसटी/हनुमानगढ़/07-08 में पारित आदेश दिनांक 21.09.2007 निम्न प्रकार है :—

“हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी गई एवं विभागीय पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। विभागीय पत्रावली चाही नहीं गई। हमारे कार्यालय के पूर्व आदेश दिनांक 21.9.07 (अपील संख्या 133/आरएसटी/हनुमानगढ़/07.08) के द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 30.9.05 को अपास्त करते हुए अपील स्वीकार की गई थी एवं घोषणा प्रपत्र (एसटी 17) से की गई खरीदों की बाद जांच नियमानुसार कर, शास्ति एवं ब्याज आरोपण की अपेक्षा की गई थी। इन स्पष्ट निर्देशों के बावजूद कर निर्धारण अधिकारी ने प्रकरण को प्रतिप्रेषित मानकर पुनः नवीन आदेश पारित किया है एवं पूर्व आदेश को ही लगभग दोहराते हुए पुनः 1.4.04 से पंजीयन प्रमाण—पत्र व्यवहारी का निरस्त किया गया है। कर निर्धारण अधिकारी अगर अपील अधिकारी के आदेश से व्यक्ति थे तो माननीय कर बोर्ड, अजमेर में द्वितीय अपील पेश की जानी चाहिए थी। मनमाने तौर पर स्वीकार की गई अपील को प्रतिप्रेषित

(रिमाण्ड) पढ़कर पुनः आदेश पारित करना न्यायिक अनुशासन नहीं है। फलतः अपीलाधीन प्रकरण के गुणावगुण पर विचार किये बिना ही आदेश दिनांक 21.11.07 को अपास्त करते हुए व्यवहारी की अपील स्वीकार की जाती है।"

11. माननीय राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ के पूर्व आदेश दिनांक 22.09.2009 का पेज संख्या 4 व 5 निम्न प्रकार है :-

"इस प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि आर.डी. खाते की कुल बिक्री के पण्यावर्त रूपये 5,14,10,119.70 में से कर योग्य सरसों की पुनः विक्रय हेतु घोषणा प्रपत्रों के विरुद्ध विक्रय का पण्यावर्त रूपये 4,50,25,79,797.60 है। प्रत्यर्थी व्यवहारी के घोषणा प्रपत्र के समर्थन से पुनः विक्रय हेतु घोषित उक्त पण्यावर्त में से मैसर्स बोथरा ट्रेडर्स पीलीबंगा, मैसर्स मोहित ट्रेडिंग कम्पनी पीलीबंगा एवं मैसर्स गौरव ट्रेडिंग कम्पनी पीलीबंगा को की गई बिक्री का पण्यावर्त क्रमशः रूपये 2,11,58,237.85, रूपये 2,22,79,070.47 एवं रूपये 15,88,489.24 है। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा पुनः विक्रय हेतु की गई उक्त आलौच्य अवधि की बिक्री के लिये मैसर्स बोथरा ट्रेडर्स पीलीबंगा द्वारा घोषणा प्रपत्र एस.टी.17 क्रमांक 0108841 दिनांक 3.12.2004 एवं मैसर्स मोहित ट्रेडिंग कम्पनी पीलीबंगा द्वारा घोषणा प्रपत्र एस.टी.17 क्रमांक 0109157 दिनांक 27.3.2005 प्रत्यर्थी व्यवहारी के नाम जारी किये गये, परन्तु मैसर्स गौरव ट्रेडिंग कम्पनी पीलीबंगा द्वारा पुनः विक्रय के लिये खरीद गई सरसों के पण्यावर्त बाबत प्रत्यर्थी व्यवहारी के नाम घोषणा प्रपत्र एस.टी.17 जारी नहीं किया गया।

कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से कर योग्य सरसों के पुनः विक्रय हेतु बेचान से सम्बन्धित फर्म मैसर्स बोथरा ट्रेडर्स पीलीबंगा के सही फर्म होने एवं कर संग्रहण करके राजकोष में जमा करवाने अथवा संदेहास्पद फर्म होने बाबत जांच कर रिपोर्ट भिवजाने हेतु सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर हनुमानगढ़ टाउन को पत्र क्रमांक 86 दिनांक 21.7.2005 को लिखा गया। उक्त पत्र का सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर हनुमानगढ़ के पत्र क्रमांक 488 दिनांक 23.8.2005 से प्रेषित जवाब के अनुसार मैसर्स बोथरा ट्रेडर्स पीलीबंगा संदिग्ध एवं अस्तित्वहीन फर्म पायी गई। वाणिज्यिक कर निरीक्षण की जांच में इस फर्म का पीलीबंगा में कोई व्यवसाय स्थल नहीं है। फर्म मालिक श्री निर्मल कुमार बोथरा दिल्ली में रहता है। निर्मल बोथरा श्री छगनलाल बोथरा का सम्बन्धी है। पीलीबंगा मण्डी के व्यापारियों द्वारा बताया गया कि मैसर्स बोथरा ट्रेडर्स पीलीबंगा का वास्तव में मालिक श्री छगनलाल सुराणा ही है। श्री छगनलाल सुराणा स्वयं गेहूं घोटाले में लिप्त रहा है, जिसके विभिन्न फर्मों के खिलाफ पीलीबंगा मण्डी द्वारा

३६८

लगातार.....6

न्यायालयों में वाद चल रहे हैं। वाणिज्यिक कर निरीक्षक ने जांच में पाया कि मैसर्स बोथरा ट्रेडर्स के पत्र यदा-कदा मैसर्स बोथरा ट्रेडिंग कम्पनी, पीलीबंगा के यहां पहुंच जाते हैं तथा मैसर्स बोथरा ट्रेडिंग कम्पनी पीलीबंगा के मालिक राजकुमार के पास उपलब्ध न्यू इण्डिया इन्ड्योरेन्स कम्पनी के मैसर्स बोथरा ट्रेडर्स को प्रेषित पत्र में 'वर्धमान मिल्स' भी अंकित होना पाया। इसी प्रकार कर निर्धारण अधिकारी द्वारा मैसर्स बोथरा ट्रेडर्स पीलीबंगा एवं मैसर्स मोहित ट्रेडिंग कम्पनी पीलीबंगा के द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी के नाम जारी घोषणा प्रपत्र एस.टी.17 के सत्यापन हेतु सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर विभाग वृत्त हनुमानगढ़ को पत्र क्रमांक 680 दिनांक 18.12.2006 लिखा गया। सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर हनुमानगढ़ के पत्र क्रमांक 74 दिनांक 8.3.2007 द्वारा प्रेषित उक्त पत्र के जवाब के अनुसार मैसर्स मोहित ट्रेडिंग कम्पनी पीलीबंगा के मण्डी पीलीबंगा में अस्तित्वहीन होने एवं फर्जी बीजक जारी करने के कारण इसका पंजीयन प्रमाण पत्र दिनांक 1.7.2003 को निरस्त कर दिया गया था। उक्त फर्म द्वारा पंजीयन निरस्त होने के पश्चात सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर हनुमानगढ़ कार्यालय से षड्यंत्रपूर्वक दिनांक 2.12.2004 को 5 घोषणा प्रपत्र एस.टी.17 प्राप्त कर लिये गये एवं इन घोषणा प्रपत्रों को करापवंचन हेतु प्रयोग कर रहा है। मैसर्स मोहित ट्रेडिंग कम्पनी द्वारा वर्ष 2004-05 में अपनी खरीद-बिक्री के सम्बन्ध में किसी प्रकार की तिमाही एवं वार्षिक रिटर्न सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर हनुमानगढ़ कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किये गये। इसी प्रकार बोथरा ट्रेडर्स पीलीबंगा के अस्तित्वहीन होने एवं फर्जी बीजक जारी करने के कारण दिनांक 30.9.2005 को दिनांक 1.4.2004 से निरस्त किया जा चुका है। मैसर्स बोथरा ट्रेडर्स द्वारा वर्ष 2004-05 में दिनांक 1.4.2004 से 30.9.2004 की प्रस्तुत रिटर्न में खरीद-बिक्री शून्य है। सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर हनुमानगढ़ से प्राप्त उक्त रिपोर्टों के तथ्यों से स्पष्ट है कि इन दोनों फर्मों द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी से वास्तविक रूप से सरसों की कोई खरीद बिक्री नहीं की गई है एवं केवल करापवंचन हेतु घोषणा प्रपत्र एस.टी.17 का दुर्लपयोग किया गया है।

12. इसी प्रकार माननीय खण्डपीठ के पूर्व आदेश दिनांक 22.09.2009 के पेज संख्या 6 व 7 निम्न प्रकार है:-

"..... कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी से कर योग्य सरसों क्रय करने वाली क्रेता फर्मों मैसर्स बोथरा ट्रेडर्स पीलीबंगा एवं मैसर्स मोहित ट्रेडिंग कम्पनी, पीलीबंगा के सम्बन्ध में सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर हनुमानगढ़ से विस्तृत जांच रिपोर्ट एवं अन्य उपलब्ध रेकार्ड के अनुसार इन दोनों फर्मों के मण्डी पीलीबंगा में अस्तित्वहीन होने एवं फर्जी बीजक जारी करने के कारण इनके पंजीयन प्रमाण पत्र क्रमशः दिनांक 1.4.2004 एवं दिनांक 1.7.2003 से निरस्त कर दिये गये

-३६८ लगातार.....7

थे तथा इन फर्मों द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी से वास्तविक रूप से सरसों का क्रय—संब्यवहार नहीं किया जाकर इनके पंजीयन प्रमाण पत्र निरस्त होने के बाद सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर हनुमानगढ़ के कार्यालय से षड्यंत्रपूर्वक दिनांक 2.2.2004 को घोषणा प्रपत्र एस.टी.17 प्राप्त कर इनका करापवचन हेतु दुरुपयोग किया गया। अतः इन फर्मों द्वारा जारी घोषणा प्रपत्र एस.टी.17 वैध (valid) नहीं रहने एवं इनके आधार पर प्रत्यर्थी व्यवहारी कर बिन्दु क्रेता पर स्थानान्तरित करते हुए राजस्थान विक्रय कर नियम 1995 के नियम 23(1) के तहत विक्रय कर की देयता की छूट हेतु हकदार भी नहीं रहता है।"

13. मैसर्स मोहित ट्रेडिंग कम्पनी को कथित की गई बिक्री व उस पर आरोपित कर व ब्याज के सम्बन्ध में कोई अतिरिक्त सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया है।

14. माननीय उड़ीसा उच्च न्यायालय ने पंजीयन प्रमाण—पत्र के सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त (1965) 16 एस.टी.सी. 271 (उड़ीसा) नौरंगलाल अग्रवाल बनाम स्टेट ऑफ उड़ीसा में निम्न व्यवस्था दी है :—

"9. Even as regards proprietary interest it was held as early as 1899 in *Prosunno Coomar Roy v. The Secretary of State for India in Council*, that any conduct of a Government servant in violation of his duty, will not operate as estopped against Government. The principle has been followed in *Secretary of State for India v. Fareedun Jijibhai Divecha*, where it was held that the mistaken interpretation of a grant by officers of Government and the consequent mistaken acts would not operate as estopped as against the Crown. Here, it has been found as a fact that persons who had no business at all succeeded in obtaining certificates of registration from the Sales Tax Authorities either due to the negligence or with the connivance of the Sales Tax Authorities and hence the grant of certificates of registration to them should be held to have been made by mistake. The Sales Tax Authorities had no jurisdiction to grant such certificates to fictitious persons or to persons who had no business. Hence though these persons may technically be said to the holders of registration certificates nevertheless, in the eye of law, they cannot be held to be registered dealers because they have not been "validly" registered under the provisions of the Act and any mistake committed by the subordinate officers of the Sales Tax Department, either due to negligence or due to collusion, cannot, or general principles, operate as estopped against Government."

२६३

लगातार.....8

15. माननीय गुजरात उच्च न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त (2014) 76 वी.एस.टी. 451 (गुजरात) मैसर्स श्रीजी इम्पेक्स बनाम स्टेट ऑफ गुजरात व अन्य में आई.टी.सी. के सम्बन्ध में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है :—

"Held, dismissing the appeal, that input-tax credit was not denied solely on the ground that the registration of the vendors was cancelled. The appellant relied upon the invoices/bills and its books of profit and loss in support of the claim that it actually purchased the goods from L and three other vendors. Not a single document and/or material was placed on record to show the actual movement of the goods from the vendors to the appellant. The appellant miserably failed to prove the actual transaction by leading the cogent evidence and miserably failed to prove that purchases on which input-tax credit was claimed, were genuine and/or on which the tax was paid. There were concurrent findings of fact given by all the authorities below that the alleged transactions were not genuine and it was only billing activities for the purpose of claiming input-tax credit, etc. The aforesaid findings of facts by all the authorities below were on appreciation of evidence and the material on record which were neither perverse nor contrary to the evidence on record. Therefore no error had been committed by any of the authorities below denying the input-tax credit."

16. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रतिप्रेषित प्रकरण में दिये गये निर्देशों की अनुपालना में प्रत्यर्थी व्यवहारी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया तथा प्रकरण से सम्बन्धित साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया गया। प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा साक्ष्यस्वरूप केवल मैसर्स बोथरा ट्रेडर्स पीलीबंगा के कर निर्धारण वर्ष 2004–05 से सम्बन्धित अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 21.09.2007 सप्तित आदेश दिनांक 30.05.2008 प्रस्तुत किये गये, जिसमें अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण के गुणावगुण पर कोई निर्णय नहीं दिया गया है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के निर्देशों की पालना नहीं किये जाने के कारण तकनीकी आधार पर व्यवहारी की अपील स्वीकार की गयी है। अतः प्रकरण के गुणावगुण पर उक्त आदेश अपीलार्थी को किसी प्रकार सहायता नहीं पहुंचाता है।

17. माननीय उड़ीसा उच्च न्यायालय के उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त (1965) 16 एस.टी.सी. 271 (उड़ीसा) नौरंगलाल अग्रवाल बनाम स्टेट ऑफ उड़ीसा एवं माननीय गुजरात उच्च न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त (2014) 76 वी.एस.टी. 451 (गुजरात) मैसर्स श्रीजी इम्पेक्स बनाम स्टेट ऑफ गुजरात व अन्य में दी गयी व्यवस्थाओं के प्रकाश में कर निर्धारण अधिकारी ने प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा क्रेता


-२१-


लगातार.....9

फर्मो मैसर्स, बोथरा ड्रेडर्स पीलीबंगा एवं मैसर्स मोहित ट्रेडिंग कम्पनी पीलीबंगा के साथ विक्रय संव्यवहार वास्तविक नहीं होने एवं करापवंचन हेतु इन दोनों घोषणा प्रपत्र एस.टी.17 का दुरुपयोग करने के कृत्य के कारण क्रेता फर्मो द्वारा अवैध रूप से जारी किये गये घोषणा प्रपत्रों को अस्वीकार करते हुए कर, ब्याज एवं शास्ति का आरोपण किये जाने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण के तथ्यों का समुचित विश्लेषण किये बिना कर निर्धारण अधिकारी के विधिसम्मत आदेश को अपास्त किये जाने में त्रुटि की गयी है।

18. उपरोक्त विवेचन को दृष्टिगत रखते हुए अपीलार्थी राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अपीलीय आदेश दिनांक 26.09.2007 अपास्त किया जाता है।

19. निर्णय सुनाया गया।

  
6.10.2015  
( मनोहर पुरी )  
सदस्य

  
( बी. के. मीणा )  
अध्यक्ष